https://www.developindiagroup.co.in/

यू.पी.एस.सी

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामाग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – 3

(शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

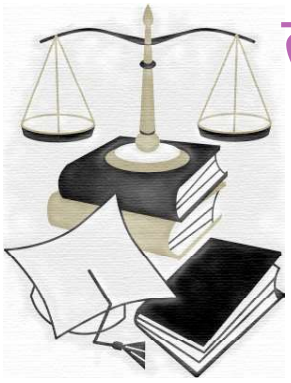

Published By
Develop India Group

Develop India Group

अनुक्रमणिका

- भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना 5
- भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार 5
- रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773 5
- पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784 5
- 1813 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1833 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1853 का चार्टर ऐक्ट 5
- 1858 का भारत सरकार अधिनियम 5
- 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम 6
- 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 6
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिंटो सुधार) 6
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार) 6
- नेहरू रिपोर्ट 6
- भारतीय शासन अधिनियम, 1935 6
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 7
- भारतीय संविधान की विशेषताएं 8
- उद्देशिका 9
- उद्देशिका की वैधानिक स्थिति 11
- उद्देशिका का दर्शन और महत्त्व 11
- राज्यों का पुनर्गठन 11
- धर आयोग 11
- जेवीपी समिति 11
- फजल अली आयोग 11
- छोटे बनाम बड़े राज्य 12
- नागरिकता 12
- नागरिकता प्राप्ति के तरीके 12
- नागरिकता की समाप्ति 13
- मूल अधिकार 13
- नीति निदेशक तत्व 17
- नीति निदेशक सिद्धांतों और मूलाधिकारों का सम्बंध 18
- मूल कर्त्तव्य 18
- संविधान संशोधन 18
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां 19
- संघ–राज्य क्षेत्र 19
- स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां 23
- पंचायती राज व्यवस्था 23
- 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं 23
- पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझाव 24
- नगरीय स्थानीय शासन/ नगरपालिकाएं 24
- 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं एवं महत्त्व 24
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान 25
- सरकारिया आयोग 27
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना 27
- संविधान के स्रोत 27
- संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, कार्य–संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय 28
- संसद 28
- राज्यसभा 28
- लोकसभा 29
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 29
- संसदीय विशेषाधिकार 29
- सामूहिक विशेषाधिकार 29
- व्यक्तिगत विशेषाधिकार 30
- वित्तीय प्रावधान 30
- बजट का अधिनियमन 30
- संसदीय समितियां 31
- राज्य कार्यपालिका 32
- राज्यपाल 32
- राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति 33
- राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन 34
- मुख्यमंत्री 34
- मंत्रिपरिषद 34
- राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) 34
- राज्य विधान मंडल 35
- विधानसभा 35
- विधान परिषद् 35
- मुख्य सचिव 35
- मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य 36
- अवशिष्ट कार्य 36
- राज्य सचिवालय 36
- सचिवालय के कार्य एवं भूमिका 36
- निदेशालय 37
- सचिवालय–निदेशालय सम्बंध 38
- कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य 38
- भारत का राष्ट्रपति 38
- निर्वाचन 39
- संवैधानिक स्थिति 39
- राष्ट्रपति की शक्तियां 39
- कार्यपालिका शक्तियां 39
- विधायी शक्तियां 40
- वीटो शक्ति 40
- वित्तीय शक्तियां 40
- न्यायिक शक्तियां 40
- कूटनीतिक शक्तियां 41
- आपातकालीन शक्तियां 41
- राष्ट्रीय आपात 41
- राष्ट्रपति शासन 41
- वित्तीय आपात 42
- राष्ट्रपति की भूमिका 42
- प्रधानमंत्री 43
- राष्ट्रपति–प्रधानमंत्री सम्बंध 44
- कैबिनेट (मंत्रिमंडल) 44
- मंत्रिमंडल समितियां 44
- महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) 45
- न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य 45
- उच्चतम न्यायालय 45
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 45
- उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 45
- उच्चतम न्यायालय की भूमिका 46
- लोकहित याचिका 46
- न्यायिक सक्रियता 46
- उच्च न्यायालय 46
- अधीनस्थ न्यायालय 47

Develop India Group

- सरकार के मंत्रालय और विभाग 47
- प्रभाव समूह 49
- औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका 49
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं 49
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व 50
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय 60
- निर्वाचन आयोग 60
- परिसीमन आयोग 61
- नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 61
- वित्त आयोग 61
- योजना आयोग 62
- राष्ट्रीय विकास परिषद 62
- नियामक 63
- न्यायाधिकरण 64
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण 64
- हित–समूह 66
- स्वैच्छिक संगठन 66
- योजना आयोग 67
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेंद्रीकरण आयोजना 71
- घरेलू हिंसा अधिनियम 72
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 73
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेंवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय 73
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय 74
- गरीबी निवारण कार्यक्रम 74
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष 75
- लोकपाल 75
- लोकायुक्त 75
- सुशासन के तत्व 76
- भारत के संदर्भ में सुशासन 76
- उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियां 77
- ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं 78
- नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय 81
- नागरिक चार्टर 81
- केंद्रीय सतर्कता आयोग 81
- केंद्रीय जांच ब्यूरो 81
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका 81
- संवैधानिक संरक्षण 82
- नई अखिल भारतीय सेवाएं 82
- संघ लोक सेवा आयोग 82
- भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंध 82
- भारत और पाकिस्तान 82
- जम्मू–कश्मीर समस्या 83
- मैकनॉटन योजना 84
- डिक्सन योजना 84
- ग्राह्म योजना 84
- भारत–चीन 86
- भारत व चीन के बीच हुए 13 समझौते 88
- 10 सूत्रीय विचारधारा 88
- भारत–नेपाल 88
- शांति तथा मैत्री पूर्ण संधि 88
- व्यापार वाणिज्य संधि 89
- वर्तमान स्थिति 89
- भारत–बांग्लादेश 90
- भारत–श्रीलंका 93
- भारत–म्यांमार 96
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार 97
- दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ – आसियान 97
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – दक्षेस 97
- गुट निरपेक्षता 98
- राष्ट्रमंडल 100
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत पर प्रभाव 101
- महत्त्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश 103
- संयुक्त राष्ट्र संघ 103
- संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवाधिकार 107
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 109
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 110
- विश्व स्वास्थ्य संगठन 110
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 111
- खाद्य एवं कृषि संगठन 112
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 112
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/ विश्व बैंक 112
- विश्व बैंक की अन्य संस्थाएं 113
- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन 113
- सार्वभौम डाक संघ 114
- विश्व व्यापार संगठन 114
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 114
- विश्व पर्यटन संगठन 115
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 115
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन 115
- अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 115
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 116
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 116
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 116
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 117
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 117
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 117
- मानव अधिकारों के लिए सं.रा. हाई कमिश्नर का कार्यालय 117
- यूरोपीय संघ 118
- ग्रुप–8 119
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 119
- एशियाई विकास बैंक 119
- अफ्रीकी विकास बैंक 119
- ग्रुप–10 119
- इस्लामिक विकास बैंक 119
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 119
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 119
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 120
- दक्षिणी साझा बाजार 120
- एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 120
- यूरोपियन आर्थिक समुदाय 120
- उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता 120
- अंतर्राष्ट्रीय मंच 120
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 120
- कोलम्बो योजना 121
- मेकांग–गंगा सहयोग 121
- गल्फ सहयोग परिषद 121
- शंघाई सहयोग संगठन 121
- अरब लीग 121
- अफ्रीकी संघ 122
- अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति 122
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 122
- इब्सा 123
- मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर्स 123
- एमनेस्टी इंटरनेशनल 123
- इस्लामिक सम्मेलन संगठन 123
- ग्रीनपीस 124
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन 124
- प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष 124
- अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति 124
- विश्व सामाजिक मंच 124

Develop India Group

प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर था। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित लक्षणों ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित की। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773

- इस ऐक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का आरम्भ हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन हो गई।
- इसने भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरम्भ किया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश *सर एलिजाह इम्पे* बने।

पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784

- इस अधिनियम को रेग्युलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- इसके द्वारा भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।
- कम्पनी के शासकीय निकाय अर्थात् निदेशक मंडल के ऊपर छह सदस्यीय *'नियंत्रक मंडल'* का गठन किया गया। भारत मंत्री, वित्त मंत्री, चार प्रीवी काउंसिलर सदस्यों को भारतीय मामलों का आयुक्त बनाया गया।
- पिट्स ऐक्ट की व्यवस्था 1857 तक चलती रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट

- कम्पनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई।
- कम्पनी की वाणिज्यिक आय को क्षेत्रीय राजस्व से पृथक कर दिया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया।
- *धर्म विभाग* (एक्लीजिओस्टिकल विभाग) की स्थापना की गई। इस ऐक्ट में नीति–निदेशक तत्त्वों के बीज देखने को मिलते हैं।

1833 का चार्टर ऐक्ट

- ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर अंतिम चरण माना जाता है। कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और वह प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाने लगी।
- बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। *लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य* बने।
- बॉम्बे, मद्रास की सरकारों को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी को किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और IPC, CrPC और CPC का निर्माण किया गया।
- पहली बार इस अधिनियम में भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों के बीज देखने को मिलते हैं।

1853 का चार्टर ऐक्ट

- इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां पृथक की गईं।
- भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई।
- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई तथा उसे वीटो पावर भी दी गई।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रणाली को मान्यता दी गई।

1858 का भारत सरकार अधिनियम

- इसे *'ऐक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया'* कहा गया।
- कम्पनी का शासन समाप्त किया गया और भारतीय सत्ता ब्रिटिश ताज को दे दी गई।
- भारतीय मामलों का प्रभारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसे भारत मंत्री कहा गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। भारत मंत्री (सचिव) ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ***लॉर्ड कैनिंग*** *भारत के अंतिम गवर्नर जनरल* और *प्रथम वायसराय* बने।

Develop India Group

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

1861 ई. में 'प्रथम भारतीय परिषद् अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में संलग्न किया गया।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद् की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की।
- वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
- कुछ शर्तों के अधीन सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिंटो सुधार)

- मार्ले–मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया।
- सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर बहस का अधिकार दिया गया।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय के.सी. गुप्ता तथा सैय्यद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार)

- यह माउंटफोर्ड योजना पर आधारित था, जिसे 1921 से भारत में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रांतीय सरकार के दो भाग हो गए :

  1. आरक्षित : जिसका प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था।

  2. हस्तांतरित : जिसका प्रशासन गवर्नर, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था।
- स्थानीय स्वशासन प्रांतीय तथा हस्तांतरित विषय बनाया गया।
- *केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना* की गई, जिन्हें विधानसभा तथा राज्य परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल तीन वर्ष का था और ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी।
- *भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली* की स्थापना की गई।
- वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई।
- महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा *स्त्रियों को मताधिकार* दिया गया।

नेहरू रिपोर्ट

विभिन्न राजनीतिक दलों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया और भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका प्रतिवेदन 10 अगस्त, 1928 को प्रकाशित हुआ, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

- भारत के साथ अन्य उपनिवेशों की तरह ही व्यवहार किया जाए।
- भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए।
- संसद में दो सदन हों – निचला सदन, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हो। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे। कार्यकारी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। इसी प्रकार के उपबंध प्रांतों में लागू किए जाएं।
- निर्वाचक मंडल संयुक्त और मिश्रित हों। केंद्र में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां भी उनके लिए आरक्षण हो।
- जहां आरक्षण किया गया है वहां भी मुस्लिम या गैर–मुस्लिम अतिरिक्त स्थानों पर चुनाव लड़ सकेंगे।
- सिंध को अलग करके मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया जाए।
- पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को, प्रांत का दर्जा दिया जाए।
- स्थानों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए हो।

भारतीय शासन अधिनियम, 1935

- भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम था। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- *केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना* का प्रस्ताव किया गया।
- *प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त* किया गया।
- *केंद्र एवं प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय* बनाई गई।
- केंद्रीय विधायिका का कार्यकाल पांच वर्ष और राज्य परिषद को स्थायी बनाया गया।
- प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसकी कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती थी और वह प्रांतीय मंत्रिमंडल का प्रमुख था।
- प्रांतों में साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हरिजनों तक किया गया।

Develop India Group

- केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। विषयों के विभाजन के लिए तीन सूचियां बनाई गईं :
  1. *संघीय सूची* – इसमें 59 विषय थे।
  2. *प्रातीय सूची* – इसमें 54 विषय थे।
  3. *समवर्ती सूची* – इसमें 36 विषय थे।
- अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंपी गई।
- *फेडरल न्यायालय की स्थापना* की गई।
- *रिजर्व बैंक की स्थापना* की गई।
- *प्रांतों में लोक सेवा आयोग* की स्थापना की गई।
- ओडीसा और सिंध दो नए प्रांतों का सृजन किया गया।
- *बर्मा को भारत से अलग* किया गया।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया गया, जिसे 15 अगस्त, 1947 को लागू किया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे :

- 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई।
- प्रत्येक अधिराज्य में ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल होगा।
- दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार होगा।
- 14 अगस्त, 1947 के बाद दोनों राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त होगा।
- दोनों राज्य अपनी अपनी संविधान सभा से अपने संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आता, तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन का संचालन किया जाएगा।

संविधान का निर्माण

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष मात्र नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन् अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से निर्मित करने का आंदोलन भी था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा। स्वराजपार्टी ने मई, 1934 में तथा कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में *'संविधान सभा'* की मांग को दोहराया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार इस विचार से सहमत हुई कि नया संविधान बनाना मुख्यतः भारतीयों का अपना उत्तरदायित्व है और वह भारतीय जीवन की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक धारणाओं पर निर्भर होगा।

1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया कि युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों का एक निर्वाचित निकाय भारत का नया संविधान बनाएगा। संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधान सभाओं के निम्न सदन द्वारा, आनुपातिक प्रति निधित्व के अनुसार किया जाएगा। प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा। यदि कोई प्रांत या देशी रियासत जो संविधान नहीं स्वीकार करना चाहती है उसके लिए पृथक संविधानिक व्यवस्था होगी। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को साम्प्रदायिक आधार पर दो पृथक भागों में बांटा जाए और दो संविधान सभाएं हों।

24 मार्च, 1946 को *लार्ड पेथिक लारेंस* की अध्यक्षता में *कैबिनेट मिशन* दिल्ली पहुंचा। जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर अन्य सदस्य भी थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य संविधान निर्माण का कार्य आरंभ करना था। इसने पृथक संविधान सभा और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के दावे को स्पष्टतः नामंजूर कर दिया, लेकिन ऐसी संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था रखी जिसने मुस्लिम लीग को भी काफी हद तक संतुष्ट किया। संविधान सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुनी जानी थी। प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया :

- सामान्य
- मुस्लिम
- सिक्ख

प्रत्येक भाग अपने प्रतिनिधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनेगा। गर्वनरों के प्रांतों में भिन्न–भिन्न सम्प्रदायों को प्रतिनिधि, उनकी जनसंख्या के अनुपात से मिलने थे और लगभग 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाना था।

संविधान सभा में कुल 389 लोग चुने जाने थे। जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से आने थे। ब्रिटिश भारत को दी गई 296 सीटों में से 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों से आनी थीं।

इन 292 सीटों को निम्नलिखित रूप से बांटा गया था :

- सामान्य 210
- मुस्लिम 78
- सिक्ख 4

देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा होना था।

संविधान सभा का चुनाव : अंततः कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों (जिसमें 4 सिक्ख सदस्यों का समर्थन था) में से 205 स्थान प्राप्त कर लिए। मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 ही मिले, इस प्रकार मुस्लिम लीग के पास 25 प्रतिशत से भी कम मत थे और तब उसने 29 जून, 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया तथा *'16 अगस्त 1946'* को *'सीधी कार्यवाही दिवस'* का प्रस्ताव पारित किया।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और वरिष्ठ सदस्य **सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष** चुना गया। 11 दिसंबर, 1946 को *डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष* चुना गया और एच.सी. मुखर्जी

Develop India Group

संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। जिसे 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जिसने संविधान की 'उद्देशिका' का रूप धारण किया।

3 जून, 1947 को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना स्वीकार कर लेने के बाद देशी रियासतों के सदस्य तथा भारतीय भाग में मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में शामिल हो गए। इस प्रकार भारतीय क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई। जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे।

डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर, 1948 को पेश किया। जिसका तृतीय वाचन 14 नवंबर से शुरू हुआ और 26 नवंबर, 1949 को संविधान प्रारूप के प्रस्ताव को घोषित कर दिया गया। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस प्रारूप पर हस्ताक्षर किए क्योंकि अन्य अनुपस्थित थे।

नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, के भाग को 26 नवंबर, 1949 से ही प्रभावी कर दिया गया तथा शेष संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ, इस दिन को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान में तत्समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।

संविधान बनने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा और इस बीच संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इस पर लगभग ₹ 6.4 करोड़ का व्यय हुआ। **डॉ. बी.आर अम्बेडकर** को ***'भारतीय संविधान का जनक'*** कहा जाता है, उन्होंने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा था। संविधान का प्रारूप **बी.एन. राउ** ने तैयार किया था तथा वे संविधान सभा के सलाहकार भी थे। प्रारूप की समीक्षा के लिए **अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी।

समिति	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
कार्य संचालन समिति	डा. कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी
नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
रियासत समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर
सलाहकार समिति	सरदार बल्लभभाई पटेल
मूल अधिकार समिति	सरदार पटेल
झंडा समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
सर्वोच्च न्यायालय समिति	एस. वारदाचारियार

लॉर्ड विसकाउंट ने संविधान सभा को 'हिंदुओं का निकाय' कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। **विंस्टन चर्चिल** ने संविधान सभा को भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था।

भारतीय संविधान की विशेषताएं

भारत का संविधान देश का आधारभूत कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में वर्णन करता है। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार हुआ। संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. **विश्व का सबसे लंबा संविधान :** भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित संविधान है। इसके वृहद् होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। प्रथम, भारत के संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम, 1935 तथा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। यह अधिनियम एक वृहद् अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची शामिल थीं। द्वितीय, भारत के संविधान में संघ और राज्यों दोनों से सम्बंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। तृतीय, भारत की विशालता एवं विविधता ने इसके विशाल होने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चतुर्थ, भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान कर आवश्यक उपाय संविधान में शामिल किए गए हैं जो सामान्यतः अन्य अधिनियमों व नियमों द्वारा वर्णित किए जाते हैं। जेनिंग्स ने 'भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है'। क्योंकि संविधान का वृहद् प्रारूप मुकदमेबाजी के नए दरवाजे खोलता है और वकीलों को नई व्याख्या करने का अवसर देता है।
2. **गृहीत संविधान :** भारत के संविधान पर विश्व के प्रमुख संविधानों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। डा. अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के तमाम संविधानों के अध्ययन के बाद किया गया है। संविधान का लगभग 2/3 भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 और नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है। कार्यपालिका तथा विधायिका के सम्बंध को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका का स्वरूप, न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत इत्यादि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से और समवर्ती सूची की अवधारणा को आस्ट्रेलिया से लिया गया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। संविधान के कई अन्य प्रावधान कनाडा, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान, आयरलैंड इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत का संविधान, पश्चिमी देशों के संविधानों से अपनाए गए सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। इसीलिए भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' कहा गया है, लेकिन यह कहना पूर्णतया तार्किक नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों में भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए और इनकी विसंगतियों को भी दूर किया।
3. **संघीय व्यवस्था :** भारत का संविधान संघीय है, जिसमें संघ व राज्यों की शक्तियों को संविधान द्वारा स्पष्टतः विभाजित किया गया है। संघ व राज्यों में अलग–अलग सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि संघीय

Develop India Group

व्यवस्था के लक्षण संविधान में विद्यमान हैं। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जो एकात्मक संविधान के लक्षण हैं, जैसे – शक्तिशाली केंद्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, कुछ अवसरों पर संसद की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति इत्यादि। इसलिए के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्द्धसंघात्मक संविधान कहा है। जेनिंग्स ने कहा है कि भारत एक ऐसा संघ है, जिसमें केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत की संघीय व्यवस्था में संघ, राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली है और संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है लेकिन भारतीय संविधान को एकात्मक की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में पाई जाने वाली यह नवीनताएं उन परिस्थितियों की देन हैं, जिनसे इस संघ का निर्माण हुआ।

4. **लचीला और कठोरता का समन्वय :** भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ प्रावधान में संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा और अन्य में सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है।
5. **संसदीय व्यवस्था :** भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा मंत्रिपरिषद् बनाई जाती है, जो कि अपने कार्यों के लिए लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
6. **स्वतंत्र न्यायपालिका :** भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, कार्यावधि और सेवाशर्तों के बारे में संविधान में स्पष्ट व विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। भारत की न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए कठोर प्रक्रिया वर्णित की गई है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं।
7. **मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य :** संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कार्यों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम और उच्च न्यायालयों के द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिटें जारी कर सकता है। संविधान में दिए गए इन मूल अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार समाहित हैं। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 20–21 में दिए मूल अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है।

   भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 ए जोड़कर मूल कर्त्तव्यों का समावेश किया गया। मूल कर्त्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं।
8. **राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत :** संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इनका प्रमुख कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है। ये सिद्धांत समाज के बहुमुखी विकास के लिए कुछ आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इन्हें मूल अधिकारों की तरह कानूनी रूप से लागू तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्त्तव्य है।
9. **न्यायिक पुनरावलोकन :** भारत का संविधान संसद को कानून बनाने और संविधान संशोधन की शक्ति देता है। संसद इन शक्तियों का दुरुपयोग न करे इसके लिए संविधान में न्यायपालिका को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक की भूमिका प्रदान की गई है और इस हेतु न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिकता का परीक्षण करते हुए संसद पर अंकुश लगाने का कार्य करती है।
10. **संविधान की सर्वोच्चता :** भारत में न तो संसद सर्वोच्च है और न ही न्यायपालिका, बल्कि भारत का संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन पर जोर देते हुए संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है।

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए

तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, **धर्म**

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित**

Develop India Group

करते हैं।

संविधान की उद्देशिका संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1946 को स्वीकार किया। संविधान की उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र और सार है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उद्देशिका वह दर्शन प्रदान करती है जिस पर संविधान के विभिन्न उपबंध आधारित हैं। उद्देशिका से निम्नलिखित चार बातें अभिव्यक्त होती हैं :

1. अधिकार का स्रोत
2. संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि
3. राजव्यवस्था का स्वरूप
4. राजव्यवस्था का लक्ष्य

1. अधिकार का स्रोत : संविधान की उद्देशिका यह तथ्य स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों का स्रोत जनता है और राजनैतिक सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित है जिसका प्रयोग करते हुए जनता ने स्वेच्छा से संविधान का निर्माण और अपनी पसंद की शासन व्यवस्था को स्थापित किया है।

2. संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि : उद्देशिका में संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का उल्लेख किया गया है। संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

3. राजव्यवस्था का स्वरूप : उद्देशिका राजव्यवस्था और संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करती है। उद्देशिका में वर्णित सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द भारतीय राजव्यवस्था के स्वरूप को प्रकट करते हैं।

क. **सम्प्रभुता** : उद्देशिका भारत को सम्प्रभु घोषित करती है अर्थात् भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है जो किसी आंतरिक अथवा वाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत सम्प्रभु है क्योंकि यह अपने विषय में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निर्णय ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के कारण सम्प्रभुता प्रभावित नहीं होती है।

ख. **समाजवाद** : 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवाद शब्द शामिल किया गया। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण का प्रतीक है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद का मुख्य लक्ष्य आय, प्रस्थिति, जीवनस्तर की असमानता को समाप्त करना और सभी लोगों के लिए उचित जीवनस्तर की प्राप्ति करना है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिमान का अनुसरण किया गया, किंतु सरकार ने अपनी पश्चात्वर्त्ती नीतियों में समाजवादी लक्ष्य की ओर झुकाव प्रदर्शित किया और 1976 में इस लक्ष्य को स्पष्टतः उद्देशिका में वर्णित कर दिया गया।

वर्ष 1991 में सरकार ने नई आर्थिक नीति व नई औद्योगिक नीति घोषित की, जिसमें निजीकरण को लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया। परिणामस्वरूप संविधान के समाजवादी लक्ष्य को क्षति पहुंची है।

ग. **पंथनिरपेक्ष** : 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका में शामिल किया गया। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी धर्मों के बीच पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता स्थापित करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पंसद के धर्म को अपनाने और उसका प्रचार–प्रसार करने की स्वतंत्रता है। *'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद'* में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा है।

घ. **लोकतंत्र** : लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। यह एक विशेष प्रकार की सामाजार्थिक प्रणाली को भी इंगित करता है जिसमें समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है हालांकि इस शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है।

ङ **गणराज्य** : उद्देशिका भारत को गणराज्य घोषित करती है। गणराज्य से आशय है कि राज्य के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है।

4. राजव्यवस्था का लक्ष्य : उद्देशिका राजव्यवस्था के निम्नलिखित लक्ष्यों का वर्णन करती है :

क. **न्याय : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक** : संविधान की उद्देशिका सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने पर बल देती है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई विभेद न करते हुए सभी नागरिकों के साथ एकसमान व्यवहार करना है। अनुच्छेद 15–18 तक प्रदत्त मूल अधिकार इसे सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक न्याय से आशय आय, सम्पत्ति और जीवनस्तर के आधार पर व्याप्त असमानता को दूर करना है। यह विभिन्न नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त होता है। राजनैतिक न्याय, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एकसमान राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार लोगों को लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में सहभागी होने के लिए सशक्तिकृत करता है।

ख. **स्वतंत्रता : विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की** : उद्देशिका प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग संविधान में प्रदत्त सीमाओं के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इस प्रकार व्यापक जनहित में स्वतंत्रता स्पष्ट है, किंतु परम नहीं है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 1(क) में और धर्म की स्वतंत्रता के प्रावधान अनुच्छेद 25–28 मूल अधिकारों के रूप में किए गए हैं।

ग. **समानता : प्रतिष्ठा और अवसर की** : उद्देशिका सभी के लिए प्रस्थिति और अवसरों की समता सुनिश्चित करती है। समानता से

Develop India Group

आशय समाज के किसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में किन्हीं विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति से है। अनुच्छेद 14–18 तक वर्णित मूल अधिकार समानता सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 39 मे वर्णित नीति निदेशक तत्व सभी पुरुष और स्त्रियों के लिए युक्तियुक्त जीविकोपार्जन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। यह आर्थिक समता सुनिश्चित करता है। राजनैतिक समता अनुच्छेद 325 तथा 326 द्वारा सुनिश्चित होती है। संविधान में उल्लिखित कुछ विशेष वर्गों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है।

घ. **व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखण्डता में वृद्धि करने वाली बंधुता** : बंधुत्व से आशय सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना से है, जो सभी व्यक्तियों को परस्पर बांधे रखती है। यह समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, और स्वतंत्रता के विस्तार के फलस्वरूप विकसित होती है। मूल कर्त्तव्यों में यह प्रावधान है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सामान्य बंधुत्व और आपसी तालमेल की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

उद्देशिका की वैधानिक स्थिति

1960 के दशक तक यह धारणा प्रचलित थी कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। 1970 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद (1973) में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के किसी अन्य भाग की तरह उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया और यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है। संसद उद्देशिका सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इससे संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अब तक संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन किया गया है।

उद्देशिका का दर्शन और महत्त्व

उद्देशिका संविधान की आत्मा है। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के किसी प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में उसे संविधान की उद्देशिका के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान के प्रावधान उद्देशिका के शब्दों को मूर्तरूप एवं अर्थ प्रदान करते हैं। उद्देशिका वह आधारभूत दर्शन और मौलिक मूल्य प्रदान करती है जिस पर संविधान आधारित है। उच्चतम न्यायालय का यह भी विचार है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यह हमें समझाने में मदद करती है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में विभिन्न प्रावधानों को समावेशित करने के पीछे मंशा क्या थी? उद्देशिका जिस मौलिक दर्शन को अभिव्यक्त करती है, उसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं :

1. भारतीय राजव्यवस्था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित है।
2. उद्देशिका उन आदर्शों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है जो संविधान निर्माता स्थापित करना चाहते थे, जैसे – न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उद्देशिका में वर्णित ये आदर्श व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित किए गए हैं।

संघ और राज्य

भारत के संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात् भारत 'राज्यों का संघ' होगा। डा. बी.आर. अम्बेडकर ने 'राज्यों का संघ' कहने के पीछे दो कारण बताए हैं – प्रथम, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। द्वितीय, यह संघ है विभक्त नहीं हो सकता। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है :

1. संघ क्षेत्र
2. राज्यों के क्षेत्र
3. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद नए राज्य का गठन कर सकती है और नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है।

राज्यों का पुनर्गठन

अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद संसद किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र को कम करना, सीमा परिवर्तन, नए राज्य निर्माण और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति इस आशय के विधेयक को अनुमति देने से पहले सम्बंधित राज्य विधान मंडल के मत को जानने के लिए भेजता है, लेकिन राज्य विधानमंडल का मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

धर आयोग

स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के पुनर्गठन के लिए मांग उठने लगी। अतः भारत सरकार ने 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में दी अपनी रिपोर्ट में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाए प्रशासनिक सुविधा के अनुरूप करने का समर्थन किया।

जेवीपी समिति

धर आयोग द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया गया, तब कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीता रमैया को शामिल करते हुए एक समिति गठित की, जिसे 'जेवीपी समिति' के नाम से जाना गया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया।

फजल अली आयोग

1953 में भारत सरकार को भाषाई आधार पर 'आंध्र प्रदेश' राज्य का गठन करना पड़ा। परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी यह मांग उठी। भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसके दो अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर तथा

Develop India Group

एच.एन. कुंजरु थे। इस आयोग ने राज्यों के गठन के लिए भाषा के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण आधारों को स्वीकार किया तथा भारत की एकता को प्रमुखता देने का समर्थन किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यों का वर्तमान वर्गीकरण किया गया है।

छोटे बनाम बड़े राज्य

छोटे राज्य और बड़े राज्य का विभाजन क्षेत्र के आधार पर होता है। छोटे राज्यों में प्रशासन को कुशलता और प्रभावशीलता से संचालित किया जा सकता है। इन राज्यों में विकास और कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने में निकट पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आसान होता है, लेकिन छोटे–छोटे राज्यों के निर्माण से राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर समन्वय में समस्याएं आती हैं, संकीर्णता की भावना का विकास होता है और क्षेत्रीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं जो विघटन का आधार पैदा कर सकते हैं। इसलिए समन्वय और राष्ट्रीय भावना के मध्य संतुलन बनाए रखते हुए राज्यों का निर्माण व्यवहार में अनेक जटिलताओं एवं चुनौतियों को जन्म देता है।

नागरिकता

नागरिकता से आशय देशीयता से है। संविधान के भाग–2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सम्बंधी उपबंध किए गए हैं। लेकिन इस सम्बंध में विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। भारतीय व्यवस्था में नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। नागरिकता के निम्नलिखित लाभ हैं :

1. कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे :
   - धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)।
   - सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसरों का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
   - बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संगठन, सम्मेलन, निवास, भ्रमण एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।
   - सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 व 30)।
2. लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है।
3. संसद एवं राज्य विधानमण्डल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मात्र नागरिकों को है।
4. अनेक सार्वजनिक पदों, जैसे – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता इत्यादि पर नियुक्त होने का अधिकार केवल नागरिकों को है।

नागरिकता सम्बंधी विधि : भारतीय संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के विषय में विधि बना सके। अतः संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह नागरिकता प्राप्त करने व त्यागने की विधियों का वर्णन करता है, जिसमें समय–समय पर संशोधन किए गए हैं।

नागरिकता प्राप्ति के तरीके

1. जन्म से नागरिकता : कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि, उसका जन्म भारत में 26 जनवरी, 1950 के बाद लेकिन 30 जून, 1987 के पूर्व हुआ हो अथवा उसका जन्म 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद हुआ हो और उस समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों, किंतु 7 जनवरी, 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय माता–पिता दोनों भारतीय नागरिक हों अथवा उसके माता–पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अविधिक प्रवासी न हो।

2. वंश के आधार पर : वर्ष 1992 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के उपरांत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत से बाहर भी हुआ हो तो भी वह वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों। वर्ष 2004 के संशोधन के अनुसार अनिवार्य शर्त यह है कि जन्म का इंडियन कांसुलेट के पास पंजीकरण एक वर्ष के भीतर अनिवार्य है या भारत सरकार की अनुमति से उक्त तिथि के बाद पंजीकरण हुआ हो।

3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता : निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति संबधित प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे पहले से भारत के नागरिक नहीं हैं। इन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होने पर निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :

- वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थनापत्र देने से पूर्व पांच वर्ष से भारत में रह रहा हो।
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता हेतु आवेदन देने से ठीक पूर्व सात वर्ष भारत में रहा हो।
- भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत के बाहर अन्यत्र रह रहा हो।
- भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे।

4. प्राकृतिक रूप से : कोई विदेशी प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक बन सकता है, यदि :

- या तो वह 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के लिए 12 वर्ष से कार्य कर रहा हो।
- वह चरित्रवान हो।
- वह ऐसे देश से सम्बंधित हो, जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकते हों।
- उसने अन्य देश की नागरिकता का त्याग किया हो।
- वह संविधान द्वारा संस्तुत किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञाता हो।
- प्राकृतिक नागरिकता के बाद वह भारत में रहने और भारत सरकार के अंतर्गत सेवा हेतु उत्सुक हो।

उपयुर्क्त शर्तों के मामले में एक या सभी से भारत सरकार उस व्यक्ति को उन्मुक्तता प्रदान कर सकती है, जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो।

5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता : किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर भारत सरकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे लोग उल्लिखित तिथि से भारत के

Develop India Group

नागरिक होते हैं।

नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के निम्नलिखित तीन तरीके वर्णित हैं :

1. **स्वेच्छापूर्वक त्याग :** कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग सकता है।
2. **समापन द्वारा :** यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
3. **वंचित किया जाना :** भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यदि :

- नागरिकता हेतु रजिस्ट्री अवैध रूप से प्राप्त की गई हो।
- नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर प्रदर्शित किया हो।
- नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से सम्बंध स्थापित किया हो या उसे सूचना दी हो।
- पंजीकरण के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो साल की कैद हुई हो।
- नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में नागरिकता सम्बंधी प्रावधानों में संशोधन किया है और भारतीय मूल के ऐसे 16 देशों के नागरिकों को भारत की भी नागरिकता प्रदान की, जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हालांकि यह व्यवस्था पूर्ण अर्थों में दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि ऐसी नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को मात्र कुछ सिविल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु राजनैतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं।

मूल अधिकार

मूल अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से अपरिहार्य माने जाते हैं। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखते हैं तथा राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। इन अधिकारों के प्रावधान का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि इनका हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

भारत के संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12–35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इन्हें संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है :

1. कुछ मूल अधिकार मात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशी लोगों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
2. अधिकांशतः मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध हैं।
3. कुछ मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं और कुछ सकारात्मक प्रकृति के।
4. मूल अधिकार न्याय योग्य हैं तथा व्यक्तियों को न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं। इनके हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद लाया जा सकता है।
5. ये स्थाई नहीं हैं, क्योंकि संसद इन अधिकारों में कमी कर सकती है बशर्ते संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो।
6. अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
7. सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों, गुप्तचर संस्थाओं जैसी सेवाओं के लिए संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है।
8. अधिकांशतः मूल अधिकार स्वतः लागू हैं, लेकिन कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है।

राज्य

मूल अधिकारों के सम्बंध में 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया गया है। संघ सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएं आदि, अन्य सभी वैधानिक प्राधिकरण जैसे एल.आई.सी., सेल आदि को शामिल किया जाता है। इन इकाईयों के कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी इकाई या एजेंसी को जो 'संस्था' की तरह काम कर रही है 'राज्य' घोषित कर सकता है।

मूल अधिकार से सम्बंधित कुछ सिद्धांत

1. **पृथक्करण का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी) :** इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के बजाए कानून के उस हिस्से को ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो संविधान का अतिक्रमण करता है।
2. **आच्छादन का सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स) :** संविधान लागू होने से पहले बना हुआ कानून यदि किसी मूल अधिकार के प्रतिकूल है तो यह निष्क्रिय हो जाता है, परंतु वह पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यदि संविधान संशोधन करके मूल अधिकार द्वारा लगाए गए उस प्रतिबंध को हटा दें तो वह कानून प्रभावी हो जाएगा।
3. **अधित्याग का सिद्धांत :** इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है। भारत में यह प्रचलित नहीं है।
4. **विधि का शासन :** यह एक ब्रिटिश संकल्पना है। इसके जनक ए. वी. डायसी माने जाते हैं। विधि के शासन का अर्थ है:

- विधि की सर्वोच्चता
- विधि के समक्ष समता
- विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणामस्वरूप

5. **न्याय का नैसर्गिक नियम :** इस नियम के अनुसार –

- किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही उसे सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर दिए बिना नहीं की जा सकती।
- कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता अर्थात् सुनवाई पक्षपात रहित और निष्पक्ष होनी चाहिए।

मूल अधिकारों का वर्गीकरण

मूल संविधान में सात मूल अधिकारों का वर्णन था किंतु सम्पत्ति के

Develop India Group

अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर भाग–ग्प् के अनुच्छेद 300–ए में रख दिया गया। वर्तमान में छह मूल अधिकार हैं, जो इस प्रकार हैं :

- समता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समता का अधिकार : संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। इसमें निम्न अधिकार निहित हैं :

- विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- सार्वजनिक सेवाओं में नागरिकों को समान अवसर (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
- उपधियों का अंत (अनुच्छेद 18)

विधि के समक्ष समता ब्रिटिश विचार है। इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। राज्य किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं देगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में समानता का नहीं, बल्कि 'समानों में समानता' है अर्थात् एक समान व्यक्तियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

विधियों का समान संरक्षण का अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं और बिना भेदभाव के उसी के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए।

अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किसी भी नागरिक को उपर्युक्त आधार पर अयोग्य या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता अर्थात् सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कुंओं का प्रयोग, सड़क और सार्वजनिक स्कूल इत्यादि के प्रयोग में उपरोक्त आधार पर किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, स्त्रियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। साथ ही राज्य गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा योग्यता के आधार पर नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं और किसी को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षित कर सकता है, जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है। अब अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर आचरण करेगा, तो उसे कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधित कर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' नाम दिया गया।

अनुच्छेद 18 के द्वारा सेना और शिक्षा सम्बंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों का संविधान द्वारा अंत कर दिया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है। राष्ट्रपति की सम्मति के बिना कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में है, विदेशों द्वारा दी जाने वाली उपाधि या उपहार नहीं स्वीकार कर सकता।

स्वतंत्रता का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 छः अधिकारों का समूह है। ये अधिकार नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं :

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक, निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता
- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के राज्य क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने–जाने की स्वतंत्रता
- भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता
- कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

संविधान में इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर देश की सम्प्रभुता और अखंडता के हित में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार, सरकार नैतिकता, शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध के उद्दीपन, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंध और सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित में भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है।

अनुच्छेद 19(1)(ए) में न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के द्वारा अन्य स्वतंत्रताएं शामिल की हैं। भारत का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 'सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार' मामले में निर्णय दिया कि विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद 19(1)(बी) में शांतिपूर्वक निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। इस स्वतंत्रता का बिना भाषण की स्वतंत्रता के व्यावहारिक महत्त्व नहीं रह पाएगा। इस अधिकार पर भारत की सम्प्रभुता, अखंडता सुव्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सभा करने के अधिकार में जूलूस निकालने का अधिकार भी समाहित है।

अनुच्छेद 19(1)(सी) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि देश की प्रभुता, अखंडता, सुव्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद 19(1)(डी) में भारत के राज्य क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने–जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इस अधिकार पर भी

Develop India Group

जन हित या अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 19(1)(ई) में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता वर्णित है, लेकिन इस अधिकार पर भी सरकार जनहित या अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए प्रतिबंध लगा सकती है।

अनुच्छेद 19(1)(जी) में वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य तकनीकी अर्हता निर्धारित कर या किसी उद्योग को पूर्णतः या अंशतः व्यापार से इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है।

अपराधों के दोषसिद्धि के सम्बंध में संरक्षण : स्वतंत्रता का अधिकार अपराधों के दोष सिद्ध के सम्बंध में संरक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी को भी उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, जो अपराध करते समय प्रचलित कानून द्वारा निश्चित था। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को दोहरे दंड व आत्मअभिशंसन से भी संरक्षण प्रदान करता है।

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता : अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले (1950) में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मात्र कार्यकारी क्रियाकलापों के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है न कि विधानमंडलीय क्रियाकलापों के विरुद्ध। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले (1978) में इस फैसले को उलट दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण केवल कार्यपालिका क्रियाओं तक ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि विधानमंडलीय क्रियाओं के विरुद्ध भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जीवन के अधिकार को शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान, गरिमा और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी शामिल किया है। न्यायालय ने इस अनुच्छेद की सर्वाधिक विस्तृत व्याख्या की है।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्राइवेसी, आश्रय, स्वास्थ्य, निःशुल्क कानूनी सहायता, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, विदेश यात्रा, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इत्यादि को सम्मिलित किया है।

संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। न्यायपालिका ने अपने कई निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या करते हुए गरिमामय जीवन के अधिकार को मूल अधिकार माना और यह कहा कि इसके अंतर्गत वे सारे आयाम आते हैं जो जीवन को सार्थक, संपूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं।

शिक्षा का अधिकार : उच्चतम न्यायालय ने मूल संविधान में वर्णित अनुच्छेद 45 के प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलाधिकार माना, क्योंकि इसके बिना गरिमामय जीवन संभव नहीं है। 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21ए में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

आज अनुच्छेद 21 का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। न्यायिक निर्णयों ने उसे निषेधात्मक निर्देश से सकारात्मक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है।

गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण : अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा देता है। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे अपनी पसंद के वकील द्वारा अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त बंदी बनाए जाने पर नागरिक को चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। भारतीय नागरिक को अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि कोई भी सरकार अन्यायपूर्ण ढंग से उनका न तो दमन कर सके और न ही उनकी स्वतंत्रता को छीन सके। लेकिन सरकार किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बंदी बना सकती है, यदि 'निवारक निरोध कानून' के अंदर ऐसा करना आवश्यक हो। इसका तात्पर्य है यदि सरकार को संदेह है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए कानून और व्यवस्था या देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है, परंतु ऐसा 3 माह से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। तीन माह के बाद निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति आवश्यक होगी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार : संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 बाल–श्रम निषेध से सम्बंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। संविधान ने मानव व्यापार अर्थात् मनुष्यों के क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले कभी–कभी जमींदारों अथवा स्थानीय शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मनुष्यों से बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य करवाया जाता था। इस प्रथा को 'बलात् श्रम' या 'बेगार' कहा जाता था। संविधान द्वारा 'बेगार' को अपराध घोषित किया गया है जो कानून द्वारा दंडनीय है। अनुच्छेद 23 जबरदस्ती काम लेने पर भी रोक लगाता है, अर्थात् इसमें बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। जबरदस्ती श्रम में न केवल शारीरिक या कानूनी बल शामिल है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना। इस संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेकेदारी मजदूरी अधिनियम 1970, समान वेतन अधिनियम 1996, बंधुआ व्यवस्था (समाप्त) अधिनियम, 1976 इत्यादि बनाए गए।

अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों अथवा खानों में काम न कराया जाए। उन्हें किसी अन्य खतरनाक कार्य में भी न लगाया जाए। इसके पीछे विचार यह है कि बच्चे समाज की पूंजी हैं। अतः जब तक वे छोटे हैं तब तक उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और सुखद बचपन बिताने की छूट होनी चाहिए। यदि उन्हें खतरे वाले कामों में कमाने के लिए लगाया जाता है तो इससे अंततः समाज को ही हानि पहुंचेगी। अतः बच्चों का शोषण नहीं किया जाना

Develop India Group